

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:-पं.दी.उ. पंखवाड़ा / 2025 / 125

प्रकरण सं.:- 142/2025
दिनांक:- 9/12/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी स्वर्णा मानजी व मू.अ.
नि. डोड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम स्वर्णा फारा भोमजी स्वर्णा
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 33, 58, 46
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. स. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|---------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| 01 | <u>स्वर्णा फारा भोमजी</u> | 33 | 220 | <u>पताराम</u> | <u>पताराम</u> S/o |
| 2 | <u>स्वर्णा मानजी</u> | 58 | 271 | <u>उदाराम</u> | <u>उदाराम</u> |
| 3 | <u>भारिमी खेड</u> | 46 | 131 | | |

(जगदीशसिंह आशिया)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

क्रमांक:-सम./2025/ 126-128

दिनांक:- 9/12/25

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी पताराम स्वर्णा फारा भोमजी तहसील सिणधरी को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

